भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3626

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिलिकॉन वैली टाउनशिप का विकास

3626. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्टार्ट-अप और उद्यमियों तथा निवेशकों को समर्पित सिलिकॉन वैली जैसी टाउनशिप विकसित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) द्वारा शुरू किए गए कार्यों की स्थिति और ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्टार्ट-अप और नए व्यापार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ ईकोसिस्टम बनाने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की है।

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं, जो "सरलीकरण और सहायता","वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अनुरूप, सरकार स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप ईकोसिस्टम की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न पहलें शुरू करती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट एरिया/क्षेत्रों/नोड्स का विकास करना है। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 20 परियोजनाओं के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। इन 20 परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती रहती है।

स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख स्कीमें स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित ऐसे आवधिक कार्यकलाप और कार्यक्रम भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के

समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम करने की पहलें स्टार्टअप्स को अपने कारोबार को बढ़ाने तथा स्केल-अप करने में मदद करती है। स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म संसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम में सहभागिता को सक्षम बनाते हैं।

इसके परिणामस्वरूप, 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार, सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ), दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3626 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कोरिडोर	नाम	स्थिति
1.	डीएमआईसी: दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर	1. धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर), 22.5 वर्ग किमी, गुजरात	तैयार सुविधाओं के साथ भूमि का आबंटन/ बिक्री शुरू कर दी गई है।
		2. शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), 18.55 वर्ग किमी, महाराष्ट्र	
		3. एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप – ग्रेटर नोएडा (आईआईटी-जीएन), 747.5 एकड़, उत्तर प्रदेश	
		4. एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप – विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल), 1100 एकड़, मध्य प्रदेश	
		5. एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब – नांगल चौधरी, 886 एकड़, हरियाणा	प्रमुख अवसंरचना का कार्यान्वयन।
		6. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच एवं एमएमटीएच), 479 एकड़, उत्तर प्रदेश	प्रमुख अवसंरचना का कार्यान्वयन।
		7. दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, 6056 एकड़, महाराष्ट्र	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
		8. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, 1578 एकड़, राजस्थान	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
2.	सीबीआईसी: चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर	9. कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, 2500 एकड़, आंध्र प्रदेश	प्रमुख अवसंरचना का कार्यान्वयन।
		10. तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र, 1736 एकड़, कर्नाटक	
3.	कोयंबटूर के रास्ते सीबीआईसी का कोच्चि तक विस्तार	11. पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र, 1710 एकड़, केरल	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
4.	एकेआईसी: अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर	12. खुरपिया फार्म एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, 1002 एकड़, उत्तराखंड	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
		13. राजपुरा पटियाला आईएमसी, 1100 एकड़, पंजाब	
		14. हिसार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, 2988 एकड़, हरियाणा	
		15. आगरा, 1058 एकड़, उत्तर प्रदेश	
		16. प्रयागराज, 352 एकड़, उत्तर प्रदेश	
		17. गया में आईएमसी, 1670 एकड़, बिहार,	

5	एचएनआईसी: हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कोरिडोर	18. जहीराबाद चरण-1, 3245 एकड़, तेलंगाना	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
6	एचबीआईसी: हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर	19. ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र, 2621 एकड़, आंध्र प्रदेश	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।
7	वीसीआईसी: विजाग चेन्नई औद्योगिक कोरिडोर	20. कोपार्थी औद्योगिक क्षेत्र, 2596 एकड़, आंध्र प्रदेश	मास्टरप्लानिंग पूरी कर ली गई है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा गया है।

*****